

अदालत: उपखण्ड अधिकारी

मुकाम: रावतभारा

नाशयणलाल गुर्जर

बनाम

तहसीलदार रावतभारा

किरण मुकदमा प्रा: पत्र (128/44) व.

24 सितंबर 2018

हुस या कार्यवाही अथ इतिथिलता जत

नाम्बर व तारीख
अदालत जो इस में
जायी है

01/05/2018

प्रार्थी नाशयणलाल गुर्जर पिता भामु गुर्जर
ग्राम बीना का खेड़ा द्वारा रावतभारा इलाक़े हेतु
"राजस्व लोक अदालत अधिनियम: न्याय आपेकें द्वारा-2008"
के तहत आ.पं. मेघनिवास में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
किया जो दर्ज रसीद कर लिया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार
रावतभारा से रिपोर्ट ली गई।

इस रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार ग्राम
बीना का खेड़ा की खाता नं. 102 व 103
2070-73 व 2070-73
में भामु पिता गोपी गुर्जर के नाम दर्ज का
लिखती भृत्य दिनांक 21-07-2013 को कर अम्का
विरासत इन्काल में दुधालाल, युत्रीलाल नाशयणलाल
शूरी वार्ड पिता भामु के नाम ना.सं. क्रि.सं. 371
दिनांक 20/9/14 को परंतु वक्त अमल दरमद
जमाबंदी में परिवर्तन लगाते हुए बहिन शूरी
वार्ड पिता भामु के बजाय शूरी वार्ड पति भामु
दर्ज हो गया। जिसे शूरी वार्ड पिता भामु किये
जाने की तहसीलदार रावतभारा द्वारा अनुबंध की गई।

पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया।
पत्रावली बाद ग्राम अवलोकन प्रार्थना-पत्र
स्वीकार किया जाकर शूरी वार्ड पति भामु
के बजाय शूरी वार्ड पिता भामु दर्ज किये
जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फंडल शूरी
हो नम्बर से कर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभारा

ता.कि.
राजस्व/क.प./व